

समाहरणालय जमुई

विधि शाखा

उद्घोषणा

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम- 1972 की धारा-21 के अन्तर्गत

बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधीक्षकता सं० एस० ओ० 627 दिनांक 22. 7. 1987 एवं एस० ओ० सं० 643 दिनांक 22. 7. 1987 द्वारा मुंगेर जिला अब जमुई जिला में अवस्थित क्रमशः नागी डैम एवं कट्टी डैम के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अर्जित क्षेत्रों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के तहत नागी डैम पक्षी आश्रयणी तथा कट्टी डैम पक्षी आश्रयणी घोषित किया गया है। इन घोषित पक्षी आश्रयणियों के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 19 से 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहर्ता, जमुई द्वारा धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा प्रोक्लैमेशन दी जाती है।

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत घोषित नागी डैम पक्षी आश्रयणी एवं कट्टी डैम पक्षी आश्रयणी का रकबा क्रमशः 191.51 हेक्टेयर एवं 332.85 हेक्टेयर है, जिसकी पूर्ण विवरणी इस प्रकार है :-

नागी डैम पक्षी आश्रयणी

क्र०	ग्राम का नाम	धाना एवं सं०	टोला एवं टोला नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल: अक्षुण्ण हे०	अक्षुण्ण हे०
1	2	3	4	5	6	7
1.	महापुर	चकाई-3	ताराजोर-44	3743, 3744, 3745 अंश 4087, 4038 अंश 4040 अंश	28.00	
2.	महापुर	चकाई-3	तारापुरा-टापन-43	1, 2 अंश 3, 4, 5, 6 अंश * 8 14 अंश 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अंश 29 अंश एवं 30	50.57	
3.	महापुर	चकाई-3	करमा-49	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 अंश एवं 464 अंश	49.17	
4.	महापुर	चकाई-3	हरहंता-15	35 अंश, 98 अंश, 99 अंश, 280 अंश 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463,	63.77	

468, 469, 470, 471,  
 472, 473, 477 अंश  
 478 अंश 482 अंश  
 483 अंश 544 अंश  
 522 अंश

कटी डैम पक्षी आश्रयणी

कुल- 191.51

ड्रमांक	ग्राम का नाम	धाना एवं सं०	टोला एवं टोला सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल हे०में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	धामना	कार्ड-2	कठवजरा-9	1422 अंश 1424, 1425, 1425, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446	29.31	
2.	धामना	कार्ड-2	कुसौना-10	9, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 245, 2 374, 375, 376, 377, 378, 379, 3755, 1390, 14 अंश 21 अंश 30(अंश) 57 अंश 67 अंश 68 अंश 69 अंश 81 अंश 207 अंश 326 अंश 327 अंश 358 अंश 392 अंश 393 अंश 394 अंश 356 अंश 232 अंश 233 अंश 242 अंश	144.63	
3.	धामना	कार्ड-2	भेलविन्दा-11	380, 381, 382, 384, 385, 433, 434, 435, 436, 503, 507, 509, 513, 514, 515, 516, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,	11.75	

1	2	3	4	5	6	7	
				535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568 अंश, 388 अंश 437 अंश 504 अंश 519 अंश 520 अंश एवं 570 अंश			
4.	धामना	फार्ड-3	कुवरी-12	1386, 1388, 1389, 1392 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 अंश		13. 06	
5.	मंगरार	फार्ड-1	सरेया-25	1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 219, 223, 225, 239, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 4 अंश 6 अंश 22 अंश 23 अंश 25 अंश 175 अंश 218 अंश 175 अंश 218 अंश 220 अंश 245 अंश 237 अंश 238 अंश 246 अंश 249 अंश 251 अंश 265 अंश एवं 279 अंश		77. 28	
6.	मंगरार	फार्ड-1	वैजला-19	58, 59, 60, 61, 62, 63, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 56 अंश 57 अंश 247 अंश एवं 266 अंश		61. 82	

कुल- 332. 85

ये दोनों आश्रयणी 24° 45' 30 तथा 24° 51' 30 अक्षांश एवं 86° 20' 00 तथा 86° 30' 00 देशान्तर के बीच अवस्थित है। विस्तृत विवरण एवं अन्य सुचनाओं के लिए सहायक वन संरक्षक कार्यालय, जमुई वनरोपण प्रमंडल, जमुई जिला-जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त घोषित नागी डैम पक्षी आश्रयणी एवं नकटी डैम पक्षी आश्रयणी के क्षेत्र पर अपना किसी प्रकार का दावा अगर हो तो इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो माह के अन्दर समाहर्ता, जमुई को लिखित रूप में कर सकता है। सभी दाये सहायक वन संरक्षक कार्यालय, जमुई वनरोपण प्रमंडल, जमुई के कार्यालय में कार्य अवधि में प्राप्त किए जाएंगे। दावों में स्पष्ट रूप से दावा की प्रकृति, प्रकार एवं परिमाण का विस्तृत उल्लेख करना है तथा अगर कोई होतिपूर्ति हो तो उसका भी विवरण एवं राशि का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

2. समाहर्ता द्वारा प्राप्त सभी दावों के संबंध में जांच की जाएगी एवं जांच के संबंधित प्रश्न हल करने के लिए प्रस्तावित रूप में दावा कर्ताओं को अपने दावा से संबंधित साक्ष्य एवं पर्याप्त प्रमाण पेश करना होगा।

3. दावा पूर्ण/आंशिक त्वा से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार समाहर्ता, जमुई को प्रदत्त है। दावों के त्वरित निष्पादन हेतु निम्न तिथियों तथा उनके सामने अंकित स्थानों पर समाहर्ता, जमुई द्वारा विशेष शिफारिश का आयोजन किया जाएगा।

तिथि	स्थान	समय
10. 2. 98	बैजला	11.00 बजे पूर्वाह्न
17. 2. 98	लहनियाटांड	वही

स्माहर्ता, जमुई

ज्ञापक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार,

पटना को इस उद्घोषणा की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष दूत

सर्वोच्च प्राथमिकता

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सिविल रिट याचिका सं० 337/95 पारित आदेश के अनुपालन के रूप में इस उद्घोषणा को दिनांक 28. 11. 97 के पूर्व समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

अतएव अनुरोध है, कि दिनांक 27. 11. 97 के दैनिक संस्करण में इस उद्घोषणा को प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

स्माहर्ता, जमुई

ज्ञापक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिलिपि- उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट शाखा, समाहरणालय जमुई को इस उद्घोषणा की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जिला गजट के असाधारण अंक में दिनांक 27. 11. 97 तक इस उद्घोषणा का प्रकाशन सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक : यथोक्त

स्माहर्ता, जमुई

ज्ञापक 350 /विधि, दिनांक 9-11-97

प्रतिनिधि- कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बासा/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बासा को इस उद्घोषणा की दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ व्यापक प्रचारार्थ एवं ~~XX~~ कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. प्रबंध विकास पदाधिकारी, बासा/अंका अधिकारी, बासा को इस उद्घोषणा की दस-दस प्रतियों के साथ व्यापक प्रचारार्थ एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सम्बन्धित पंचायत सेक्क/जनसेक्क/राजस्व कर्मचारी/वैकीदार/दफादार के माध्यम से क्षेत्र में इस उद्घोषणा का व्यापक प्रचार कराये ।

3. अध्यक्ष अधिपूचित क्षेत्र समिति, बासा को इस उद्घोषणा की एक अतिरिक्त प्रति के साथ कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ

सभी पदाधिकारी इस उद्घोषणा के प्रचार एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित किए जाने का प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ।

अनुलग्नक - यथोक्त

(संज्ञांक,  
समाहर्ता, जमुई

ज्ञापक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिनिधि- अनुसूचित पदाधिकारी, जमुई को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित ।

2. उपर जिला जन समर्क पदाधिकारी, जमुई को दो प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ प्रेषित ।

(संज्ञांक,  
समाहर्ता, जमुई

ज्ञापक 350 /विधि, दिनांक 25-11-97

प्रतिनिधि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वनरोपणा प्रमंडल, जमुई/सहायक वन संरक्षक, जमुई वन रोपणा प्रमंडल, जमुई को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संज्ञांक,  
समाहर्ता, जमुई